

न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)
(समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)

आप. प्रक. क्र.-187 / 2008

संस्थित दिनांक-25.03.2008

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र रूपझर,

अन्तर्गत चौकी बिठली, जिला-बालाघाट (म.प्र.)

..... अभियोजन

विरुद्ध

बिसराम परते पिता चैतूसिंह, उम्र 47 साल, जाति गोंड,

निवासी ग्राम डोंगरिया चौकी बिठली थाना रूपझर,

जिला बालाघाट (म.प्र.)

..... आरोपी

-:: निर्णय ::-

(दिनांक-17 / 03 / 2015 को घोषित)

(01) आरोपी के विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा 25, 27 के अन्तर्गत आरोप है कि आरोपी दिनांक-06.02.2008 को 14:30 बजे ग्राम डोंगरिया थानान्तर्गत रूपझर में 'सरपंच के घर के सामने तिराहे पर अपने आधिपत्य में बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के एक भरमार बंदूक जिसकी बेरल से बट तक की लम्बाई करीब 42 इंच तथा बेरल की लम्बाई 26 इंच एवं बारूद करीब 15 ग्राम दो लोहे की टोपी, दो नग छर्रे रखे हुये पाया गये।

(02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी डी.के.पाण्डेय सहायक उपनिरीक्षक को दिनांक 06.08.2008 को ग्राम हर्राभाट मंडवा डोंगरिया में मुखबिर से सूचना मिली की बिसराम गोंड अवैध रूप से भरमार बंदूक कंधे पर डांगकर लोगों को चमकाने के लिये घुम रहा है। सूचना पर तत्काल हमराह स्टाफ एवं गवाह प्रदीप, सुन्दरलाल के साथ ग्राम डोंगरिया तिहारे पर पहुंचा तो बिसराम भरमार बंदूक लेकर घुमते हुए दिखाई दिया और पुलिस को देखकर भागने लगा हमराह स्टाफ एवं गवाहों ने घेराबंदी कर पकड़ कर कब्जे से भरमार बंदूक पुरानी प्लास्टिक की डिब्बी में टोपी एवं छर्रे गवाहों के समक्ष जप्त किये। आरोपी का कृत्य आयुध अधिनियम की धारा 25, 27 के अन्तर्गत दण्डनीय होने से आरोपी को गिरफ्तार कर बाद थाने आकर

आरोपी के विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा 25, 27 के तहत अपराध क्रमांक 18/08 पंजीबद्ध कर आवश्यक विवेचना पूर्ण कर यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

(03) आरोपी को मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा आयुध अधिनियम की धारा 25, 27 का आरोप-पत्र विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा।

(04) आरोपी का बचाव है कि वह निर्दोष हैं, पुलिस ने उनके विरुद्ध झूठा प्रकरण तैयार कर उसे झूठा फंसाया है।

(05) आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :-

(अ) क्या आरोपी दिनांक-06.02.2008 को 14:30 बजे ग्राम डोंगरिया थानान्तर्गत रूपझर में 'सरपंच के घर के सामने तिराहे पर अपने आधिपत्य में बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के एक भरमार बंदूक जिसकी बेरल से बट तक की लम्बाई करीब 42 इंच तथा बेरल की लम्बाई 26 इंच एवं बारूद करीब 15 ग्राम दो लोहे की टोपी, दो नग छर्रे रखे हुये पाया गया ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

(06) अभियोजन साक्षी कुवर बिसेन (अ.सा. 4) का कहना है कि वह दिनांक 06.08.2008 को सहायक उपनिरीक्षक दिलीप पाण्डे के साथ हमराह के रूप में ग्राम डोंगरिया गया था जहां पर वन्य प्राणी के प्रकरण से संबंधित आरोपी की तलाश में गये थे। ग्राम डोंगरिया में सरपंच के घर के सामने तिराह पर एक व्यक्ति बंदूक टांगे मिला जो चिल्ला रहा था। व्यक्ति का नाम पूछने पर उसने अपना नाम बिसराम होना बताया। आरोपी बिसराम के पास एक भरमार बंदूक, लगभग 10-15 ग्राम बारूद, दो छर्रे, दो लोहे के केप पाये गये थे। आरोपी के पास उक्त सामान के कोई दस्तावेज नहीं थे।

(07) अभियोजन साक्षी नरेन्द्र ठाकरे (अ.सा. 5) का कहना है कि दिनांक 06.

02.2008 को पुलिस चौकी बिठली में आरक्षक के पद पर कार्यरत् रहते हुये वह सहायक उपनिरीक्षक दिलीप पाण्डे के साथ गश्त में ग्राम डोंगरिया के तरफ गया था यहां मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति ग्राम डोंगरिया में सरपंच के साथ बंदूक लेकर घूम रहा है तथा गांव के लोगों को धमका रहा है। सूचना पर वह दिलीप पाण्डे के साथ गवाह प्रदीप और सुंदर को साथ लेकर ग्राम डोंगरिया गया जहां पर आरोपी बिसराम एक बंदूक लिये सरपंच के घर के सामने चिल्ला रहा था। आरोपी बिसराम के साथ भरमार बंदूक के अलावा बारूद, छर्रे एवं केप थे। सहायक उपनिरीक्षक दिलीप पाण्डे ने आरोपी बिसराम से उसके सामने भरमार बंदूक, बारूद, केप, छर्रे जप्त किये थे और आरोपी को गिरफ्तार कर थाना लेकर आये थे।

(08) अभियोजन साक्षी विधासागर पटले (अ.सा. 7) का कहना है कि दिनांक 06. 02.2008 को पुलिस चौकी बिठली में आरक्षक के पद पर कार्यरत् रहते हुये सर्चिंग के लिये सहायक उपनिरीक्षक दिलीप पाण्डे एवं स्टाप के साथ गया था। सर्चिंग से वापस आते समय ग्राम मण्डवा गांव के पास बिसराम नामक व्यक्ति बंदूक लेकर आ रहा था तो उससे पूछताछ करने पर उसने अपना नाम बिसराम होना बताया। वह आरोपी सहित बंदूक थाने लाये थे।

(09) अभियोजन साक्षी उद्धव प्रसाद तिवारी (अ.सा. 6) का कहना है कि वर्ष 2008 में पुलिस लाईन बालाघाट में उसके द्वारा भरमार बंदूक जो हाथ से बनाई गई थी जिस पर कोई नम्बर नहीं लिखा हुआ था का परीक्षण करने पर उसने बंदूक चालू हालत में होना पाया एवं बंदूक से जंगली जानवर का वध किया जा सकता था।

(10) अभियोजन साक्षी प्रधान आरक्षक दिलीप (अ.सा. 3) का कहना है कि घटना वर्ष 2008 की है। वह प्रधान आरक्षक कुबरसिंह बिसेन के साथ ग्राम डोंगरिया गया था तो पता चला कि बिसराम नाम का एक व्यक्ति भरमाकर बंदूक लेकर आ रहा है। मुखबिर की सूचना पर मिलने पर वह घटनास्थल पर गये और आरोपी बिसराम को पकड़ कर थाने लेकर आये। आरोपी शराब पीकर भरमार बंदूक लेकर घुम रहा था। आरोपी को हनुमान चौराहे पर पकड़ा था। आरोपी को पकड़ने पर उसके पास एक भरमार बंदूक थी और क्या था उसे याद नहीं है। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी

ने यह स्वीकार किया है कि आरोपी बिसराम के पास से भरमार बंदूक के अलावा लगभग 10 ग्राम बारूद, दो लोहे की टोपी एवं दो नग छर्रे मिले थे।

(11) अभियोजन साक्षी प्रदीप हरिन्द्रवार (अ.सा. 2) का कहना है कि घटना उसके कथन से लगभग एक-डेढ़ साल पुरानी है। दिलीप पाण्डे ने आरोपी बिसराम के पास से एक बंदूक पकड़ी थी। आरोपी के पास से बंदूक पकड़ने की कार्यवाही ग्राम डोंगरिया में हुई थी। पुलिस को बिसराम के पास से बंदूक मिली थी जिसे पुलिस ने जप्त किया था और जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-02 बनाया था। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी को गिरफ्तार किया था। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस बात से स्पष्ट इन्कार किया है कि आरोपी के पास भरमार बंदूक थी। साक्षी ने इस बात से भी इन्कार किया है कि उसने प्रदर्श पी-03 के बयान में पुलिस को यह बताया था कि बंदूक भरी थी। साक्षी ने इस बात से भी स्पष्ट रूप से इन्कार किया है कि उसके सामने कार्यवाही की गई थी।

(12) अभियोजन साक्षी सुन्दरलाल (अ.सा. 1) का कहना है कि उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने पुलिस को बयान दिये जाने से स्पष्ट रूप से इन्कार किया है। साक्षी को पुलिस कथन पढ़कर सुनाये जाने पर साक्षी ने ऐसा बयान पुलिस को दिये जाने से स्पष्ट रूप से इन्कार किया है। उसके समक्ष आरोपी बिसराम से कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं हुई थी और न ही पुलिस ने आरोपी बिसराम को उसके समक्ष गिरफ्तार किया था।

(13) आरोपी के द्वारा साक्षी रामसिंह (ब.सा. 1) के कथन कराने पर बचाव साक्षी रामसिंह (ब.सा. 1) का कहना है कि घटना उसके कथन से सात वर्ष पुरानी दिन के 12-01:00 बजे की है। उसकी किराने की दुकान थी। आरोपी उसकी किराने की दुकान पर सामान लेने के लिए आया था। उसी समय उसकी दुकान में बिठली चौकी से बिसेन पुलिस वाला भी सामान लेने आया तो उसी समय पुलिस वाले ने आरोपी बिसराम को चौकी ले जाते हैं करके ले गये थे। आरोपी बिसराम के पास कोई बंदूक, छर्रा एवं बारूद इत्यादि सामान नहीं था एवं आरोपी के घर पर भी बंदूक, छर्रा एवं बारूद नहीं थी।

(14) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता का बचाव है कि आरोपी निर्दोष है। पुलिस ने उसके विरुद्ध झूठा प्रकरण तैयार कर एवं झूठी विवेचना कर उसे झूठा फंसाया है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन का प्रकरण सन्देहस्पद है। अतः सन्देह का लाभ आरोपी को दिया जाये।

(15) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता के बचाव पर विचार किया गया।

(16) अभियोजन साक्षी कुवर बिसेन (अ.सा. 4) का कहना है कि वह दिनांक 06.08.2008 को सहायक उपनिरीक्षक दिलीप पाण्डे के साथ हमराह के रूप में ग्राम डोंगरिया गया था जहाँ पर वन्य प्राणी के प्रकरण से संबंधित आरोपी की तलाश में गये थे। ग्राम डोंगरिया में सरपंच के घर के सामने तिराह पर एक व्यक्ति बंदूक टांगे मिला जो चिल्ला रहा था। व्यक्ति का नाम पूछने पर उसने अपना नाम बिसराम होना बताया। आरोपी बिसराम के पास एक भरमार बंदूक, लगभग 10-15 ग्राम बारूद, दो छर्रे, दो लोहे के केप पाये गये थे। आरोपी के पास उक्त सामान के कोई दस्तावेज नहीं थे। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि वह ग्राम डोंगरिया में ए.एस. आई. पाण्डे के साथ पैदल गया था और कुछ लोग मोटरसायकिल से गये थे। उसने आरोपी को बंदूक लिये नहीं पकड़ा था।

(17) अभियोजन साक्षी नरेन्द्र ठाकरे (अ.सा. 5) का कहना है कि दिनांक 06.02.2008 को पुलिस चौकी बिठली में आरक्षक के पद पर कार्यरत रहते हुये वह सहायक उपनिरीक्षक दिलीप पाण्डे के साथ गश्त में ग्राम डोंगरिया के तरफ गया था यहां मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति ग्राम डोंगरिया में सरपंच के साथ बंदूक लेकर घूम रहा है तथा गांव के लोगों को धमका रहा है। सूचना पर वह दिलीप पाण्डे के साथ गवाह प्रदीप और सुंदर को साथ लेकर ग्राम डोंगरिया गया जहां पर आरोपी बिसराम एक बंदूक लिये सरपंच के घर के सामने चिल्ला रहा था। आरोपी बिसराम के साथ भरमार बंदूक के अलावा बारूद, छर्रे एवं केप थे। सहायक उपनिरीक्षक दिलीप पाण्डे ने आरोपी बिसराम से उसके सामने भरमार बंदूक, बारूद, केप, छर्रे जप्त किये थे और आरोपी को गिरफ्तार कर थाना लेकर आये थे। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि वह घटनास्थल पर मोटरसायकिल से गया था। ए.एस.आई पाण्डे के साथ प्रकरण में उसके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई।

(18) अभियोजन साक्षी विधासागर पटले (अ.सा. 7) का कहना है कि दिनांक 06.02.2008 को पुलिस चौकी बिठली में आरक्षक के पद पर कार्यरत रहते हुये सर्चिंग के लिये सहायक उपनिरीक्षक दिलीप पाण्डे एवं स्टाप के साथ गया था। सर्चिंग से वापस आते समय ग्राम मण्डवा गांव के पास बिसराम नामक व्यक्ति बंदूक लेकर आ रहा था तो उससे पूछताछ करने पर उसने अपना नाम बिसराम होना बताया। वह आरोपी सहित बंदूक थाने लाये थे। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि वह पैदल सर्चिंग करने गया था। आरोपी को पकड़कर थाने नहीं लाया। आरोपी को ए.एस.आई पाण्डे ने किस स्थान से पकड़ा उसे जानकारी नहीं है।

(19) अभियोजन साक्षी उद्धव प्रसाद तिवारी (अ.सा. 6) का कहना है कि वर्ष 2008 में पुलिस लाईन बालाघाट में उसके द्वारा भरमार बंदूक जो हाथ से बनाई गई थी जिस पर कोई नम्बर नहीं लिखा हुआ था का परीक्षण करने पर उसने बंदूक चालू हालत में होना पाया एवं बंदूक से जंगली जानवर का वध किया जा सकता था। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि उसके द्वारा तैयार परीक्षण रिपोर्ट प्रकरण में संलग्न नहीं है। उसे सीलबंद बंदूक परीक्षण हेतु प्राप्त नहीं हुई थी।

(20) अभियोजन साक्षी प्रधान आरक्षक दिलीप (अ.सा. 3) का कहना है कि घटना वर्ष 2008 की है। वह प्रधान आरक्षक कुबरसिंह बिसेन के साथ ग्राम डोंगरिया गया था तो पता चला कि बिसराम नाम का एक व्यक्ति भरमाकर बंदूक लेकर आ रहा है। मुखबिर की सूचना पर मिलने पर वह घटनास्थल पर गये और आरोपी बिसराम को पकड़ कर थाने लेकर आये। आरोपी शराब पीकर भरमार बंदूक लेकर घुम रहा था। आरोपी को हनुमान चौराहे पर पकड़ा था। आरोपी को पकड़ने पर उसके पास एक भरमार बंदूक थी और क्या था उसे याद नहीं है। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आरोपी बिसराम के पास से भरमार बंदूक के अलावा लगभग 10 ग्राम बारूद, दो लोहे की टोपी एवं दो नग छर्रे मिले थे। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि वह मोटरसायकिल से गये थे और चार लोग दो मोटरसायकिल लेकर गये थे। घटनास्थल चौराहा होने के कारण वहां पन्द्रह बीस लोगों की भीड़ लगी थी। उसने आरोपीगण से कोई बंदूक जप्त नहीं की थी। उसके सामने

आरोपी से कोई सम्पत्ति जप्त नहीं हुई थी।

(21) अभियोजन साक्षी प्रदीप हरिन्द्रवार (अ.सा. 2) का कहना है कि घटना उसके कथन से लगभग एक-डेढ़ साल पुरानी है। दिलीप पाण्डे ने आरोपी बिसराम के पास से एक बंदूक पकड़ी थी। आरोपी के पास से बंदूक पकड़ने की कार्यवाही ग्राम डोंगरिया में हुई थी। पुलिस को बिसराम के पास से बंदूक मिली थी जिसे पुलिस ने जप्त किया था और जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-02 बनाया था। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी को गिरफ्तार किया था। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस बात से स्पष्ट इन्कार किया है कि आरोपी के पास भरमार बंदूक थी। साक्षी ने इस बात से भी इन्कार किया है कि उसने प्रदर्श पी-03 के बयान में पुलिस को यह बताया था कि बंदूक भरी थी। साक्षी ने इस बात से भी स्पष्ट रूप से इन्कार किया है कि उसके सामने कार्यवाही की गई थी। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी-01 एवं प्रदर्श पी-02 पर पुलिस ने क्या लिखा था पढ़कर नहीं बताया था हस्ताक्षर बिठली चौकी पर करवाये थे। बंदूक ए.एस.आई. पाण्डे कहां से लाया उसे जानकारी नहीं है। पुलिस ने उसके बयान नहीं लिये थे। वह ए.एस.आई. पाण्डे के साथ बंदूक निकलाने भी नहीं गया। पुलिस ने उसे बिठली चौकी पर बुलाया और उसने पुलिस के कहने पर हस्ताक्षर कर दिये।

(22) अभियोजन साक्षी सुन्दरलाल (अ.सा. 1) का कहना है कि उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने पुलिस को बयान दिये जाने से स्पष्ट रूप से इन्कार किया है। साक्षी को पुलिस कथन पढ़कर सुनाये जाने पर साक्षी ने ऐसा बयान पुलिस को दिये जाने से स्पष्ट रूप से इन्कार किया है। उसके समक्ष आरोपी बिसराम से कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं हुई थी और न ही पुलिस ने आरोपी बिसराम को उसके समक्ष गिरफ्तार किया था।

(23) प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी सुन्दरलाल (अ.सा. 1), प्रदीप हरिन्द्रवार (अ.सा. 2), प्रधान आरक्षक दिलीप (अ.सा. 3), कुवर बिसेन (अ.सा. 4), नरेन्द्र ठाकरे (अ.सा. 5), उद्धव प्रसाद तिवारी (अ.सा. 6), विधासागर पटले (अ.सा. 7) के कथनों में विरोधाभास होने से तथा साक्षियों के कथनों का

प्रतिपरीक्षण में भी खण्डन होने से आरोपी दिनांक-06.02.2008 को 14:30 बजे ग्राम डोंगरिया थानान्तर्गत रूपझर में सरपंच के घर के सामने तिराहे पर अपने आधिपत्य में बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के एक भरमार बंदूक जिसकी बेरल से बट तक की लम्बाई करीब 42 इंच तथा बेरल की लम्बाई 26 इंच एवं बारूद करीब 15 ग्राम दो लोहे की टोपी, दो नग छर्रे रखे हुये पाया गया। यह विश्वासनीय प्रतीत नहीं होता है।

(24) उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि आरोपी बिसराम दिनांक-06.02.2008 को 14:30 बजे ग्राम डोंगरिया थानान्तर्गत रूपझर में सरपंच के घर के सामने तिराहे पर अपने आधिपत्य में बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के एक भरमार बंदूक जिसकी बेरल से बट तक की लम्बाई करीब 42 इंच तथा बेरल की लम्बाई 26 इंच एवं बारूद करीब 15 ग्राम दो लोहे की टोपी, दो नग छर्रे रखे हुये पाया गया। अभियोजन का प्रकरण सन्देहस्पद प्रतीत होता है। अतः सन्देह का लाभ आरोपी को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

(25) परिणाम स्वरूप आरोपी बिसराम को आयुध अधिनियम की धारा 25, 27 के आरोप में दोषसिद्ध न पाते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

(26) प्रकरण में आरोपी पूर्व से जमानत पर है, उसके पक्ष में पूर्व के निष्पादित जमानत एवं मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

(27) प्रकरण में जप्तशुदा एक भरमार बंदूक, बारूद, दो लोहे की टोपी, दो नग छर्रे रक्षित केन्द्र बालाघाट में होने से विधिवत् निराकरण हेतु जिला दण्डाधिकारी बालाघाट को सौंपे जाने बाबत ज्ञापन जारी किया जावे। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार सम्पत्ति का निराकरण किया जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित
किया गया।

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर जिला बालाघाट (म0प्र0)